

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु0अ0-4 (मु0)–3054-04-45 /2021 - ३६१८ /पटना, दिनांक—०७/९/२०२१
 प्रेषक,

संजय दूबे, भा०प्र०स००
 विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
 बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सङ्क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सङ्कके, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सङ्क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सङ्क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार कार्य कराने की प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सङ्क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सङ्कके, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सङ्क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सङ्क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित योजनाओं के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार कार्य कराने की प्रशासनिक अनुमोदन प्रदत्त किया जाता है:-

क्रम	कार्य प्रमंडल	योजना का नाम	योजना की लम्बाई (कि०मी०)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	जगदीशपुर	Bahoranpur L021 Se To Lachhu Tola	4.400	152.52500	37.09500	189.62000

- आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित
2. संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, जगदीशपुर के योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वयित कराकर वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
 3. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
 4. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन योजना के मूल संचिका में प्राप्त है।
 5. सारणी में अंकित योजना का कार्य कराने की प्रशासनिक अनुमोदन अथवा विभागीय रूप से कराए गये कार्य की प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
 6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
 7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

८
 ३१९२०५

८
 ३१९२०५

8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य कार्यक्रम/योजना से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्णविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से संचिका संख्या—मु0अ0-4 (मु0)-3054 04-45 /2021 के पृ०- 6 /टि० पर दिनांक—27.8.2021 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

31/9/2021

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक— मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-45 /2021-3618 /पटना, दिनांक-07/9/2021
प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुकु

31/9/2021
विशेष सचिव

ज्ञापांक— मु0अ0—4 (मु0)—3054—04—45 /2021 - ३६१२ /पटना, दिनांक—०७/९/२०२१
प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं
विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग (आय—व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, /संबंधित जिला पदाधिकारी, /संबंधित उप
विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट
शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता— १ एवं ४, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड
करने हेतु एवं सहायक आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

४
३१/१०/२१

विशेष सचिव

५८